सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-424 राँची, सोमवार, 16 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 अगस्त, 2021

संख्या-15/नीति नि०-07-04/2021का०-3841--झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त के निर्धारण हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-1749 दिनांक-27.03.2010 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2010" की वरीयता से संबंधित नियम-8(ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-6575 दिनांक-29.08.2018 के द्वारा प्रथम बार संशोधित है ।

झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली (यथा संशोधित) के नियम-13(ख) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल एतद्द्वारा द्वितीय संशोधन नियमावली गठित करते हैं ।

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ</u>

(i) संक्षिप्त नाम :- यह नियमावली "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/ टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2021" कही जायेगी ।

(ii) विस्तार :- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) प्रभाव की तिथि :- यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. ''झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2010 (यथा संशोधित)'' की कंडिका- 4(ख)(i) के प्रावधान को विलोपित कर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
अनिवार्य योग्यताः- सीधी भर्त्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्त्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडिएट काउन्सिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी टाईपिंग में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति अनिवार्य अर्हता होगी ।	**''न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः-** झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी टाईपिंग में 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से कम्प्यूटर पर टाईपिंग अधिकतम 2 प्रतिशत अशुद्धि सहित अनिवार्य होगी । उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा । परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा । परन्तु यह कि अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी ।''

3. ''झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2010 (यथा संशोधित)'' इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 424 -- 50